


फर्द अहकाम

अज अदालत SDO (नियम 26) कोटा
 मुकाम कोटा
 किस्म मुकद्दमा नाना लाल बनाम श्रीमती लक्ष्मी लाल
88 R.T. Act 119-18 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22 ⁶ / ₁₈	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपक द्वार 2018 के तहत कैंप कोर्ट <u>कोटा</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>88</u> आर टी एक्ट के तहत पेश किया कि</p> <p><u>गणनालक फिरोज केशुराव दामोदर डोर +</u> <u>(कोटा) नाथ लक्ष्मी लाल फिरोज केशुराव नरेंद्र कोट</u> <u>दुरानी कोटा वाद 88 आर टी एक्ट के तहत</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>जयसिंहपुरा में नाना लाल फिरोज केशुराव दामोदर फिरोज केशुराव ने अपना नाथ लक्ष्मी लाल को नाना लाल कराने के कोर्ट के तहत</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार वडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
 RAS
 पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 कोटा

